न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2019 / 00304 दर्ज तिथिः–18.11.2019

1. भाणीदेवी पुत्री मालाराम पत्नी फूसाराम जाति सुथार निवासी मगासर तहसील गुड़ामालानी हाल धनवा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

............................वादीगण

बनाम

1. गंगादेवी पत्नी मालाराम
2. मूलीदेवी पत्नी सुखाराम
3. दीपाराम वल्द मालाराम
4. देवाराम वल्द राउराम
5. भूरी वल्द राउराम
   विश्वकर्मा नगर गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
6. जेतीदेवी पत्नी मानाराम
7. उतमाराम वल्द ठाकराराम जाति सुथार निवासी बांकाणी सारणों की ढाणी गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
8. तहसीलदार गुड़ामालानी।

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीः–एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः–
   - कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मौजा मगासर पटवार हल्का गोलिया जेतमाल तहसील नौखड़ा में अवस्थित मुतनाजा आराजी का विवरण निम्न प्रकार है–

खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)
485	26–08
490	39–01

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

572	31–09
कुल	96–18

- कि वादी और प्रतिवादी संख्या 01–12 का एक ही संयुक्त परिवार है। वादी व प्रतिवादी हिन्दू विधि से शासित होते है। उक्त संयुक्त परिवार का एक ही पुरूष पूर्वज उतमाराम है। जिसका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है–

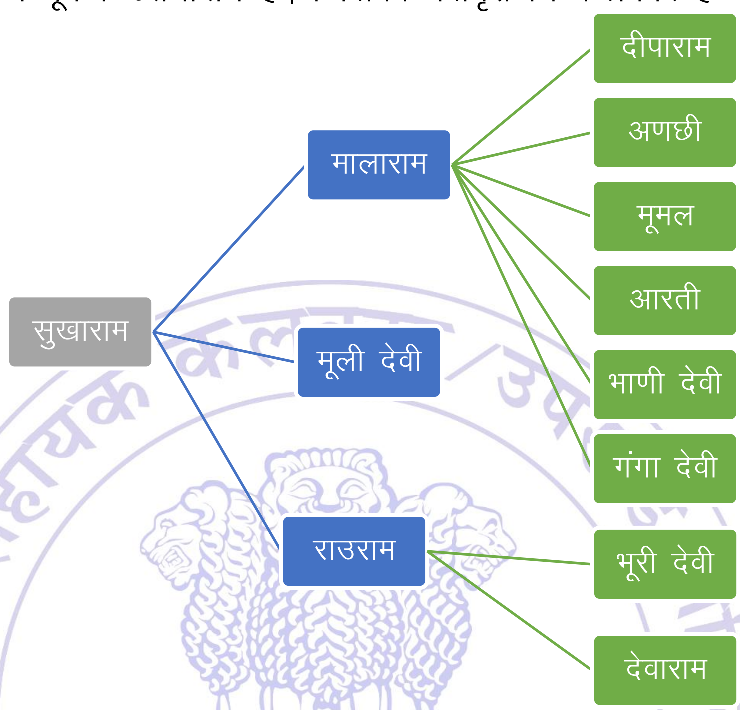

- कि उक्त मुतनाजा आराजी वादी व प्रतिवादी के पूर्वज सुखाराम की पैतृक आराजी थीं। सुखाराम के फौत होने पर संपति की विरासत उनके स्थान पर मालाराम पुत्र सुखाराम, राउराम पुत्र सुखाराम व मूली देवी के नाम विरासत दर्ज हुई। वादी अपने अन्य भाई–बहनों के साथ अपने के पिता मालाराम के देहांत होने पर वादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के तहत बतौर खातेदार मुतनाजा आराजी पर सहखातेदार दर्ज हुई।
- कि अपने के पिता मालाराम के देहांत होने पर वादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस वादी के साथ अन्य बहने अणछी पुत्री मालाराम, मूमल पुत्री मालाराम, आरती पुत्री मालाराम, गंगा पत्नी मालाराम व दीपाराम पुत्र मालाराम है। मुतनाजा आराजी पर अणछी पुत्री मालाराम, मूमल पुत्री मालाराम, आरती पुत्री मालाराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 दीपाराम के पक्ष मे अपना संपूर्ण हिस्सा हकत्याग कर दिया। वादी द्वारा किसी प्रकार का हकत्याग नहीं किया गया। साथ ही वादी के पिता मालाराम के देहांत होने पर वादी के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने के बावजूद भी मालाराम की विरासत वादी के नाम दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार मालाराम की संपूर्ण आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने मिलकर अपने नाम दर्ज करवा ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादी के पिता मालाराम की मृत्यु होने के पश्चात विरासत में संपूर्ण आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के नाम फौतगी का नामांतरकरण स्वीकार कर वादी को अधिकारों से वंचित कर संपूर्ण आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के नाम दर्ज कर दी। प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने संपूर्ण आराजी अपने नाम होने का लाभ उठाते हुए उक्त आराजी दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दी। जबकि वादी आज भी मौके पर काबिज काश्त है। इस कारण वादी के कब्जे काश्त को बेदखल करने की धमकिया दी जा रही है।
- इस कारण वादीगण को घोषणा का दावा प्रस्तुत करना पड़ा है। वादी का निवेदन है कि वादी मुतनाजा आराजी मौजा मगासर खसरा संख्या 485 रकबा 26—08 बीघा पर अपने हकों का त्याग करते हुए शेष आराजी खसरा संख्या 490 रकबा 39—01 बीघा व खसरा संख्या 572 रकबा 31—09 बीघा कुल रकबा 70 बीघा 10 बिस्वा में वादी के भाई प्रतिवादी सख्या 03 व माता प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा किए गए अंतरण को वादी के हिस्से की सीमा तक निष्प्रभावी व बेअसर घोषित कर वादी को प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के साथ जन्म से ही सहकृषक होने से वादी का 1/18 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी के खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का दखल नहीं देवे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। समस्त प्रतिवादी बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादीनी द्वारा खसरा संख्या 485 की इश्तद्आ प्रत्याहारित की गई। इस प्रकार खसरा संख्या 485 की इश्तद्आ वादी द्वारा प्रत्याहारित किये जाने से खसरा संख्या 485 निर्विवादित है।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार हैः—
    1. वादी मुतनाजा आराजी मौजा मगासर 485 रकबा 26—08 बीघा, 490 रकबा 39—01 बीघा व खसरा संख्या 572 रकबा 31—09 बीघा कुल रकबा 96 बीघा 18 बिस्वा में वादी के भाई प्रतिवादी सख्या 03 व माता प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा किए गए अंतरण को वादी के हिस्से की सीमा तक निष्प्रभावी व बेअसर घोषित कर वादी को प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के साथ जन्म से ही सहकृषक होने से वादी का 1/18 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावें।

    2. प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी के खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का दखल नहीं देवे।

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
	नामांतरकरण संख्या 74 मौजा मगासर	प्रदर्श—01

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

	नक्शा ट्रेश मौजा मगासर	प्रदर्श–02
	खाता संख्या 40 संवत 2071–74 मौजा मगासर	प्रदर्श–03
	विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र	प्रदर्श–04ए
	विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र	प्रदर्श–05ए

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
भाणी पुत्री मालाराम	सुथार	मगासर	पी0डब्ल्यू–1
फुसाराम पुत्र केसाराम	सुथार	धनवा सिणधरी	पी0डब्ल्यू–2

6. प्रकरण में वादीगण के गवाहों द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- उक्त मुतनाजा आराजी वादी व प्रतिवादी के पूर्वज सुखाराम की पैतृक आराजी थीं। सुखाराम के फौत होने पर संपति की विरासत उनके स्थान पर मालाराम पुत्र सुखाराम, राउराम पुत्र सुखाराम व मूली देवी के नाम विरासत दर्ज हुई। वादी अपने अन्य भाई–बहनों के साथ अपने के पिता मालाराम के देहांत होने पर वादी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के तहत बतौर खातेदार मुतनाजा आराजी पर सहखातेदार दर्ज हुई।
- कि अपने के पिता मालाराम के देहांत होने पर वादी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस वादी के साथ अन्य बहने अणछी पुत्री मालाराम, मूमल पुत्री मालाराम, आरती पुत्री मालाराम, गंगा पत्नी मालाराम व दीपाराम पुत्र मालाराम है। मुतनाजा आराजी पर अणछी पुत्री मालाराम, मूमल पुत्री मालाराम, आरती पुत्री मालाराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 दीपाराम के पक्ष मे अपना संपूर्ण हिस्सा हकत्याग कर दिया। वादी द्वारा किसी प्रकार का हकत्याग नहीं किया गया। साथ ही वादी के पिता मालाराम के देहांत होने पर वादी के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने के बावजूद भी मालाराम की विरासत वादी के नाम दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार मालाराम की संपूर्ण आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने मिलकर अपने नाम दर्ज करवा ली।
- कि वादी के पिता मालाराम की मृत्यु होने के पश्चात विरासत में संपूर्ण आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के नाम फौतगी का नामांतरकरण स्वीकार कर वादी को अधिकारों से वंचित कर संपूर्ण आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के नाम दर्ज कर दी। प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने संपूर्ण आराजी अपने नाम होने का लाभ उठाते हुए उक्त आराजी दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दी। जबकि वादी आज भी मौके पर काबिज काश्त है। इस कारण वादी के कब्जे काश्त को बेदखल करने की धमकिया दी जा रही है।
- इस कारण वादीगण को घोषणा का दावा प्रस्तुत करना पड़ा है। वादी का निवेदन है कि वादी मुतनाजा आराजी मौजा मगासर खसरा संख्या 485 रकबा 26–08 बीघा, 490 रकबा 39–01 बीघा व खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा कुल रकबा 96 बीघा 18 बिस्वा में वादी के भाई प्रतिवादी सख्या 03 व

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

माता प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा किए गए अंतरण को वादी के हिस्से की सीमा तक निष्प्रभावी व बेअसर घोषित कर वादी को प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के साथ जन्म से ही सहकृषक होने से वादी का 1/18 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी के खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का दखल नहीं देवे।

- इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा—04 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

7. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी मुतनाजा आराजी मौजा मगासर खसरा संख्या 490 रकबा 39—01 बीघा व खसरा संख्या 572 रकबा 31—09 बीघा कुल रकबा 70 बीघा 10 बिस्वा में वादी के भाई प्रतिवादी सख्या 03 व माता प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा किए गए अंतरण को वादी के हिस्से की सीमा तक निष्प्रभावी व बेअसर घोषित कर वादी को प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के साथ जन्म से ही सहकृषक होने से वादी का 1/18 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावे।

8. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अनुतोष वार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम अनुतोष का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैंः—

   1. *वादी मुतनाजा आराजी मौजा मगासर खसरा संख्या 485 रकबा 26—08 बीघा, 490 रकबा 39—01 बीघा व खसरा संख्या 572 रकबा 31—09 बीघा कुल रकबा 96 बीघा 18 बिस्वा में वादी के भाई प्रतिवादी सख्या 03 व माता प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा किए गए अंतरण को वादी के हिस्से की सीमा तक निष्प्रभावी व बेअसर घोषित कर वादी को प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के साथ जन्म से ही सहकृषक होने से वादी का 1/18 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावे।*

सत्यमेव जयते

9. प्रकरण में प्रथम अनुतोष वादी की खातेदारी आराजी की तरमीम दुरस्ती एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में वादी मुतनाजा आराजी मौजा मगासर खसरा संख्या 485 रकबा 26—08 बीघा, 490 रकबा 39—01 बीघा व खसरा संख्या 572 रकबा 31—09 बीघा कुल रकबा 96 बीघा 18 बिस्वा में वादी के भाई प्रतिवादी सख्या 03 व माता प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा किए गए अंतरण को वादी के हिस्से की सीमा तक निष्प्रभावी व बेअसर घोषित कर वादी को प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के साथ जन्म से ही सहकृषक होने से वादी का 1/18 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने से संबंधित है।

10. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से संबधित है। वादी एवं प्रतिवादी का एक संयुक्त पूर्वज सुखाराम था। उतमाराम के दो पुत्र मालाराम व राउराम थे। प्रकरण में प्रदर्श—02 नामांतरकरण संख्या 74 मौजा मगासर के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा मगासर में अवस्थित मुतनाजा आराजी के खातेदार मालाराम वल्द सुखाराम के फौत हो जाने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 74 मौजा मगासर दर्ज किया गया है। उक्त नामांतरकरण संख्या 74 मौजा मगासर में माला वल्द सुखा की विरासत केवल दीपा वल्द माला गंगा पत्नी माला

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

के नाम दर्ज की गई है। साथ ही अणछी, मूमल व आरती द्वारा दीपा वल्द माला के पक्ष में हकत्याग किया गया है।

11. प्रकरण में निर्विवाद तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से संबधित है। वादी एवं प्रतिवादी का एक संयुक्त पूर्वज सुखाराम था। उतमाराम के दो पुत्र मालाराम व राउराम थे। साथ ही निर्विवाद तथ्य है कि मालाराम के एक पुत्र दीपा वल्द माला व एक पत्नी गंगा पत्नी माला व चार पुत्रियां अणछी, मूमल, आरती व भाणी पिसरान माला वारिसान है। प्रकरण में विवाद केवल भाणी के हिस्से को लेकर है।

12. विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत संपति में अधिकार न्यागत होते है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची में सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी के वारिसों में किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत संपति न्यागत होती है। अगर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची में प्रथम श्रेणी के कोई भी वारिस नहीं होने की स्थिति में किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची में द्वितीय श्रेणी के वारिसों में किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत संपति न्यागत होती है। प्रकरण में वादी माला के प्रथम श्रेणी के वारिस मौजूद है। इस प्रकार वादी का भी माला वल्द सुखा की संपति में कानूनन जन्म से ही हक निहित है। इस प्रकार प्रकरण में माला वल्द सुखा की विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के प्रावधानों के विपरीत दर्ज की गई है।

13. इस प्रकार प्रकरण में वादी माला के प्रथम श्रेणी के वारिस मौजूद है। उल्लेखनीय है कि किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची में प्रथम श्रेणी के समस्त वारिसों में बराबर हिस्से में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत विरासत में मृतक निर्वसीयती हिन्दू की संपति न्यागत होती है। इस आधार पर प्रकरण में भाणी पुत्री माला भी अन्य भाई व बहनों के साथ माला वल्द सुखा की हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची में प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस प्रकार वादी का भी माला वल्द सुखा की संपति में कानूनन जन्म से ही हक निहित है। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा अपने विरूद्ध न्यायालय में विचाराधीन न्यायिक कार्यवाही के संज्ञान होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अपने विरूद्ध न्यायालय में विचाराधीन न्यायिक कार्यवाही के संज्ञान होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं करना एक तरह से वादी के दावा की स्वीकारोक्ति है।

14. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मौजा मगासर का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा अपने हिस्से का प्रतिवादी संख्या 06 व 07 को बेचान कर दिया है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में गंगा पत्नी माला के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि वाद में मुतनाजा आराजी का कुल रकबा 70 बीघा 10 बिस्वा था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कुल रकबे में से राउराम का 1/3 हिस्सा, मूली पत्नी सुखाराम का 1/3 हिस्सा तथा मालाराम पुत्र सुखाराम के 1/3 हिस्से अनुसार 23 बीघा 10 बिस्वा आराजी ही माला वल्द सुखा के हिस्से में आती है। इसी प्रकार माला वल्द सुखा के हिस्से में आई आराजी रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा में वादी भाणी पुत्री माला का 1/6 हिस्सा बनता है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी में वादी का हिस्सा 03 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 03 दीपा वल्द माला के अपनी आराजी के बेचान करने के बाद भी गंगा पत्नी माला का उक्त आराजी में हिस्सा निहित है। चूकि गंगा पत्नी माला व प्रतिवादी संख्या 03 दीपा वल्द माला तथा वादी भाणी पुत्री माला एक ही परिवार से संबंधित है। मालाराम की विरासत में वादी का नाम दर्ज नहीं किये जाने से गंगा पत्नी माला व दीपा पुत्र माला का हिस्सा उनके नियमानुसार हिस्से से ज्यादा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस प्रकार वादी के हिस्से की आराजी 03 बीघा व 18 बिस्वा आराजी मालाराम की विरासत में मालाराम के 1/3 हिस्से में से गंगा पत्नी माला को प्राप्त 1/6 हिस्से से अधिक रकबे में से नियमानुसार कम की जाकर व मालाराम की विरासत में मालाराम के 1/3 हिस्से में से दीपा पुत्र माला को प्राप्त 1/6 हिस्से तथा अणसी, मूमल व आरती द्वारा हकत्याग से प्राप्त हिस्से को संयुक्त करते हुए दीपा पुत्र माला के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 और 7 को अंतरित आराजी के पश्चात शेष रकबे में से नियमानुसार कम की जाकर उक्त आराजी पर वादी के खातेदारी अधिकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार से वादी तनकी संख्या—01 को साबित करने में सफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या—01 वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

15. प्रकरण में वादीनी द्वारा खसरा संख्या 485 की इश्तदुआ प्रत्याहारित किये जाने से खसरा संख्या 490 एवं 572 का कुल रकबा 70 बीघा 10 बिस्वा आराजी में माला वल्द सुखा का 1/3 हिस्से में 23 बीघा 10 बिस्वा आराजी आती है। इसी प्रकार माला वल्द सुखा के हिस्से में आई आराजी रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा में वादी भाणी पुत्री माला का 1/6 हिस्सा बनता है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी में वादी का हिस्सा 3 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादी के हिस्से की आराजी 03 बीघा व 18 बिस्वा आराजी मालाराम की विरासत में मालाराम के 1/3 हिस्से में से गंगा पत्नी माला को प्राप्त 1/6 हिस्से से अधिक रकबे में से नियमानुसार कम की जाकर व मालाराम की विरासत में मालाराम के 1/3 हिस्से में से दीपा पुत्र माला को प्राप्त 1/6 हिस्से तथा अणसी, मूमल व आरती द्वारा हकत्याग से प्राप्त हिस्से को संयुक्त करते हुए दीपा पुत्र माला के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 और 7 को अंतरित आराजी के पश्चात शेष रकबे में से नियमानुसार कम की जाकर उक्त आराजी पर वादी के खातेदारी अधिकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

16. अब प्रकरण में द्वितीय अनुतोष का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में द्वितीय तनकी निम्न प्रकार हैं:—

2. *प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी के खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का दखल नहीं देवे।*

17. प्रकरण में द्वितीय तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

18. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

19. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। इस प्रकार अगर वादी की खातेदारी व पृथक खाता में दर्ज कब्जेसुदा आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो निश्चित ही वादी के खातेदारी अधिकारों को क्षति उत्पन्न होगी व न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न होना प्रबल संभावित है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी का विधिक विभाजन करवाने के पश्चात स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

20. इस प्रकार प्रकरण में भाणी पुत्री माला भी अन्य भाई व बहनों के साथ माला वल्द सुखा की हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची में प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस प्रकार वादी का भी माला वल्द सुखा की संपति में कानूनन जन्म से ही हक निहित है। इस प्रकार वादी के हिस्से की आराजी 03 बीघा व 18 बिस्वा आराजी मालाराम की विरासत में मालाराम के 1/3 हिस्से में से गंगा पत्नी माला को प्राप्त 1/6 हिस्से से अधिक रकबे में से नियमानुसार कम की जाकर व मालाराम की विरासत में मालाराम के 1/3 हिस्से में से दीपा पुत्र माला को प्राप्त 1/6 हिस्से तथा अणसी, मूमल व आरती द्वारा हकत्याग से प्राप्त हिस्से को संयुक्त करते हुए दीपा पुत्र माला के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 और 7 को अंतरित आराजी के पश्चात शेष रकबे में से नियमानुसार कम की जाकर उक्त आराजी पर वादी के खातेदारी अधिकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाता है। वादी को वादी के हिस्से की आराजी 03 बीघा व 18 बिस्वा आराजी मालाराम की विरासत में मालाराम के 1/3 हिस्से में से गंगा पत्नी माला के नियमानुसार 1/6 हिस्से से अधिक दर्ज रिकॉर्ड रकबे में से नियमानुसार कम की जाकर व मालाराम की विरासत में मालाराम के 1/3 हिस्से में से दीपा पुत्र माला के नियमानुसार 1/6 हिस्से से अधिक प्राप्त व दर्ज रिकॉर्ड रकबे तथा अणसी, मूमल व आरती द्वारा दीपा पुत्र माला के पक्ष में हकत्याग से प्राप्त हिस्से को संयुक्त करते हुए दीपा पुत्र माला के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 और 7 को अंतरित बेचान को यथावत रखने के पश्चात शेष रकबे में से नियमानुसार कम की जाकर उक्त आराजी पर वादी के खातेदारी अधिकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 29.09.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2019/00304 दर्ज तिथिः—18.11.2019

1. भाणीदेवी पुत्री मालाराम पत्नी फूसाराम जाति सुथार निवासी मगासर तहसील गुड़ामालानी हाल धनवा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

..............................वादीगण

बनाम

1. गंगादेवी पत्नी मालाराम
2. मूलीदेवी पत्नी सुखाराम
3. दीपाराम वल्द मालाराम
4. देवाराम वल्द राउराम
5. भूरी वल्द राउराम
   विश्वकर्मा नगर गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
6. जेतीदेवी पत्नी मानाराम
7. उतमाराम वल्द ठाकराराम जाति सुथार निवासी बांकाणी सारणों की ढाणी गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
8. तहसीलदार गुड़ामालानी।

...........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाता है। वादी को वादी के हिस्से की आराजी 03 बीघा व 18 बिस्वा आराजी मालाराम की विरासत में मालाराम के 1/3 हिस्से में से गंगा पत्नी माला के नियमानुसार 1/6 हिस्से से अधिक दर्ज रिकॉर्ड रकबे में से नियमानुसार कम की जाकर व मालाराम की विरासत में मालाराम के 1/3 हिस्से में से दीपा पुत्र माला के नियमानुसार 1/6 हिस्से से अधिक प्राप्त व दर्ज रिकॉर्ड रकबे तथा अणसी, मूमल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

व आरती द्वारा दीपा पुत्र माला के पक्ष में हकत्याग से प्राप्त हिस्से को संयुक्त करते हुए दीपा पुत्र माला के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 और 7 को अंतरित बेचान को यथावत रखने के पश्चात शेष रकबे में से नियमानुसार कम की जाकर उक्त आराजी पर वादी के खातेदारी अधिकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार नौखड़ा को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested